(17)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2007/आश्विन 30, 1929
No. 469] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2007/ASVINA 30, 1929

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 675(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 98 और धारा 99 तथा धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :— (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (निधि का गठन और उपयोजन की रीति)और बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय नियम, 2007 है

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, –

(क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) 'केन्द्रीय आयोग' से अधिनियम की धारा 76 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) 'सचिव' से केन्द्रीय आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) 'निधि' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।

3. निधि का गठन – (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि नामक एक निधि का गठन करती है ।

(2) निधि, भारतीय लोक लेखा के अधीन खोली जाएगी और यह एक समाप्त न होने वाला और ब्याज रहित लेखा होगा ।

(3) केन्द्रीय आयोग, आयोग की अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की अपनी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(3) केन्द्रीय आयोग, आयोग की अनुमानित प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए निधियों की अपनी अपेक्षा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार संसद् द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय आयोग को ऐसी धनराशियों के अनुदान और ऋण देगा जो सरकार उपनियम (3) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा संसूचित अपेक्षा को सम्यक् रूप से ध्यान में रखने के पश्चात् आवश्यक समझे ।

(5) निधि में निम्नलिखित समाविष्ट होगा --

(i) अधिनियम की धारा 98 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए कोई अनुदान या ऋण ;

(ii) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस ;

(iii) समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित अन्य स्रोतों से केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ।

4. निधि का उपयोजन -- निधि का निम्नलिखित की पूर्ति के लिए उपयोजन किया जाएगा --

(क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य पारिश्रमिक ;

(ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन केन्द्रीय आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्यय ;

(ग) अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में और उसके द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय ;

5. निधि से रकम का जारी किया जाना -- (1) केन्द्रीय आयोग किसी वित्तीय वर्ष में अपने वार्षिक बजट के संबंध में निधि से रकम जारी करने की दो बार (अप्रैल और सितंबर मास में) मांग करेगा । केन्द्रीय आयोग से ऐसी अध्यपेक्षा के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार --

(क) निधि में विद्युत मंत्रालय के वार्षिक बजट में संसद द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय आयोग के लिए अनुदानों और ऋणों की रकम के समुचित भाग को अंतरित करेगी और साथ ही ;

(ख) अपने वेतन और लेखा कार्यालय के माध्यम से पाने वाले के खाते में देय चैक द्वारा केन्द्रीय आयोग को निधि से यथा अध्यपेक्षित रकम जारी करेगी ।

(2) केन्द्रीय आयोग इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रीति में अनुदानों और ऋणों के उचित लेखे और अन्य अभिलेख रखेगा ।

(3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर केन्द्रीय आयोग आरंभिक अतिशेष, निधि से प्राप्त रकम (अनुदानों और ऋणों की रकम सहित) और उपयोजित और अनुपयोजित शेष बकाया का उसमें कथन करते हुए एक उपयोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

6. बैंक खाते का खोला जाना --

(1) केन्द्रीय आयोग एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता(खाते) खोलेगा ।

(2) केन्द्रीय आयोग नामनिर्दिष्ट बैंक/बैंकों में उनकी जानकारी और अभिलेखों के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में अपने दो अधिकारियों के हस्ताक्षर के नमूने उपलब्ध कराएगा ।

(3) नामनिर्दिष्ट बैंक/(बैंकों) की संबंद्ध शाखा केन्द्रीय आयोग को दैनिक संदाय और प्राप्ति सूची प्रस्तुत करेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि संदाय सूची में उपदर्शित चैक ऐसे हैं जो केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी किए गए हैं और बैंक/(बैंकों) के साथ प्रत्येक संव्यवहार का समाधान करेगी ।

7. निधि के उपयोजन करने की रीति --

(1) निधि से ज़ारी की गई सभी रकमों को बैंक/(बैंकों)में केन्द्रीय आयोग के खाते(खातों)में संदत्त किया जाएगा और उपनिदेशक (लेखा) और लेखा अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चैक प्रस्तुत करने के सिवाय निकाला नहीं जाएगा ।

(2) ये अधिकारी केन्द्रीय आयोग की ओर से प्राप्तियों और संदायों के उचित संव्यवहारों की मानिटरी के लिए उत्तरदायी होंगे ।

8. बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन — केन्द्रीय आयोग उपाबंध - 1 में दिए गए प्ररूप में अपना बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन तथा उपाबंध - 2 में दिए गए प्ररूप में अंतिम अनुदान विवरण प्रस्तुत करेगा और उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर और 15 जनवरी तक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

9. शक्तियों का प्रत्यायोजन -- केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित विषयों को छोड़कर, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम की अनुसूची - 2, 5, 6 और 7 में यथा दी गई मदों से संबंधित केन्द्रीय सरकार की शक्तियां होंगी :-

(i) पदों का सृजन ;
(ii) एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोग ;
(iii) यानों का क्रय ;
(iv) विदेश में संगोष्ठियों, सम्मेलनों या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आयोग के किसी अधिकारी को अनुमति देना ;

परंतु यह कि इन शक्तियों का प्रयोग वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियम, 1978 और अन्य साधारण नियमों में अंतर्विष्ट साधारण निर्बंधनों और शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगा ।

(2) केन्द्रीय आयोग विभिन्न व्ययों की मंजूरी और केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सचिव के बीच शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए विस्तृत प्रक्रिया को अधिकथित करेगा ।

10. लेखाओं की लेखा परीक्षा -- (1) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों में जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए केन्द्रीय आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित केन्द्रीय आयोग के लेखे उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे ।

उपाबंध - 1

(चालू वर्ष) के पुनरीक्षित प्राक्कलन /
(अगले वर्ष) के बजट प्राक्कलन

लेखा शीर्ष	पिछले दो वर्षों के वास्तविक		बजट आबंटन	प्रथम 6 मासों के वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष और अंतिम वर्ष)			पिछले 6 मासों के लिए वास्तविक (पूर्ववर्ती 2 वर्ष)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

पिछले 6 मासों का प्राक्कलन (अंतिम वर्ष)	कुल पुनरीक्षित प्राक्कलन	बजट प्राक्कलन	आबंटन और पुनरीक्षित प्राक्कलन के बीच अंतर (11-14)
10	11	12	13

(बजट प्राक्कलन और पुनरीक्षित प्राक्कलन) के बीच अंतर (12-11)	अंतर के कारण
14	15

टिप्पण 1. -- लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे ।
टिप्पण 2. -- बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथासूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा ।

उपाबंध - 2

लेखा शीर्ष	प्राप्त पुनरीक्षित आबंटन	प्रथम 10 मासों के वास्तविक	पिछले 2 मास की अपेक्षा	कुल अंतिम अनुदान	शुद्ध बचत/ आधिक्य	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7

टिप्पण 1. -- लेखा शीर्ष परिशिष्ट क पर सूची के अनुसार होंगे ।
टिप्पण 2. -- बजट उपबंधों को परिशिष्ट ख पर यथासूचीबद्ध विस्तृत ज्ञापन के साथ स्पष्ट किया जाएगा ।

परिशिष्ट क

ब्यौरेवार लेखा शीर्ष (वर्णन सहित) जिसके अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग बजट विवरणों और उसके स्पष्टकारी ज्ञापन प्रस्तुत करेगा

लेखा वर्णन

कोड

राजस्व

2. फीस और प्रभार

2.1 फीस
2.2 प्रभार
2.3 जुर्माने

योग

2.4 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

कुल योग

3. अनुदान

3.1 सरकार से
3.2 अन्य से

योग

4. दान

5. संगोष्ठियां और सम्मेलन

6. प्रकाशनों का विक्रय

7. विनिधानों पर आय और निक्षेप

7.1 विनिधानों पर आय

7.2 निक्षेपों पर आय

8. उधार

8.1 सरकार से

8.2 अन्य से (विनिर्दिष्ट करें)

9. आस्तियों का विक्रय

10. विनिधानों का विक्रय

11. वेतन बिलों से वसूलियां

11.1 उधारों और अग्रिमों की मूल रकम

11.2 उधारों और अग्रिमों पर ब्याज

12. प्रकीर्ण आय

12.1 आस्तियों के विक्रय पर अभिलाभ

12.2 कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

व्यय

13. अध्यक्ष और सदस्य

13.1 वेतन और भत्ते
13.2 अन्य फायदे
13.3 यात्रा व्यय
13.3.1 विदेश
13.3.2 घरेलू

14. अधिकारी
14.1 वेतन और भत्ते
14.2 सेवानिवृत्ति फायदे
14.3 अन्य फायदे
14.4 यात्रा व्यय
14.4.1 विदेश
14.4.2 घरेलू

15. कर्मचारिवृंद

15.1 वेतन और भत्ते
15.2 सेवानिवृत्ति फायदे
15.3 अन्य फायदे
15.4 यात्रा व्यय
15.4.1 विदेश

15.4.2 घरेलू

16. वाहन - भाड़ा

17. मज़दूरी
18. अतिकाल
19. मानदेय
20. अन्य कार्यालय व्यय
21. अनुसंधान पर व्यय
22. परामर्श फीस
23. संगोष्ठियां और सम्मेलन
24. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रकाशन
25. किराया और कर
26. उधारों पर ब्याज
27. प्रवर्तन संबंधी व्यय
28. सदस्यता फीस
29. अभिदान
30. स्थिर आस्तियों का क्रय
31. विनिधान और निक्षेप
31.1 विनिधान
31.2 निक्षेप
32. प्रतिभूति निक्षेप
33. उधार और अग्रिम
33.1 कर्मचारियों को
33.1.1 ब्याज सहित
33.1.2 ब्याज रहित
33.2 प्रदायकर्ताओं और ठेकेदारों को
33.3 अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
34. उधारों का प्रतिसंदाय
35. अन्य
35.1 छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय
35.2 लेखा परीक्षा फीस
35.3 प्रकीण
36. वर्णन
37. आस्तियों के विक्रय पर हानि
38. बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण
39. डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध

योग

परिशिष्ट ख

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पुनरीक्षित प्राक्कलन /बजट प्राक्कलन का स्पष्टीकारक ज्ञापन

1. पूर्ववर्ती वर्ष में वास्तविक स्थापन पद संख्या और उसकी लागत सहित प्राक्कलन में उसके लिए चाहे गए उपबंध सहित स्थापन के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण ।

2. मूल लागत, पुनरीक्षण, यदि कोई हो, को उपदर्शित करते हुए पांच लाख से अधिक की लागत वाली एकल परियोजनाओं/परामर्शों के प्राक्कलन और बजट अनुदानों में परियोजना के लिए चाहे गए उपबंध ।

3. बजट/पुनरीक्षित प्राक्कलनों में विदेशी मुद्रा घटक के ब्यौरे ।

4. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के प्राक्कलन ।

5. बजट वर्ष और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के वित्तीय परिणामों को दर्शित करने वाला विवरण ।

[फा. सं. 23/76/2003-आर एण्ड आर]

आलोक कुमार, निदेशक

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2007

G.S.R. 675(E).— In exercise of powers conferred by section 98 and 99 and clause (p) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission Fund (Constitution and the manner of application, of the Fund) and Form and Time for Preparation of Budget Rules, 2007.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**. - (1) In these rules unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the Electricity Act, 2003;

(b) 'Central Commission' means the Central Electricity Regulatory Commission constituted under section 76 of the Act;

(c) 'Secretary' means the Secretary of the Central Commission;

(d) 'Form' means a form appended to these rules;

(e) 'Fund' means the Central Electricity Regulatory Commission Fund.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Electricity Act, 2003, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

4298GI/07—2

3. **Constitution of the Fund.** – (1) The Central Government hereby constitutes a Fund to be called the Central Electricity Regulatory Commission Fund.

(2) The Fund shall be opened under the Public Account of India and this shall be a non-lapsable and non-interest bearing account.

(3) The Central Commission shall, by the 30th September of each year, submit to the Central Government its requirement of funds for the next financial year taking into account the estimated receipts of the Commission.

(4) The Central Government may, after due appropriation made by the Parliament, make to the Central Commission grants and loans of such sums of money as the Government considers necessary after having due regard to the requirement communicated by the Central Commission under sub-rule (3).

(5) The Fund shall comprise of –

(i) any grants and loans made to the Central Commission by the Central Government under section 98 of the Act;

(ii) all fees received by the Central Commission under the Act;

(iii) all sums received by the Central Commission from other sources as may be decided upon by the Central Government from time to time.

4. **Application of the Fund.** - The Fund shall be applied for meeting -

(a) the salary, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, Officers and other employees of the Central Commission;

(b) the expenses of the Central Commission in discharge of its functions under section 79 of the Act;

(c) the expenses on objects and for purposes authorised by the Act.

5. **Release of amount from the Fund.** - (1) The Central Commission shall seek release of amount from the Fund against its annual budget twice (in the

month of April, and September) in a financial year. Upon receiving such a requisition from the Central Commission, the Central Government shall -

(a) transfer the appropriate part of the sums of grants and loans for the Central Commission approved by the Parliament in the annual budget of the Ministry of Power to the Fund and simultaneously;

(b) release the amount as requisitioned from the Fund to the Central Commission by account payee cheque through its Pay and Accounts Office.

(2) The Central Commission shall maintain proper accounts and other records of the grants and loans in the manner as may be prescribed by the Central Government in this behalf.

(3) At the close of Financial Year the Central Commission shall furnish a utilisation certificate stating therein the opening balance, amount (including of grants and loans) received from the Fund and utilised and the balance remaining unutilised.

6. **Opening of Bank Account.-**

(1) The Central Commission shall open account(s) in one or more nationalised banks.

(2) The Central Commission shall make available the specimen signatures of two of its officers to be the authorised signatories to the nominated bank/(s) for their information and records.

(3) The link branch of the nominated bank/(s) shall furnish daily payments and receipts scrolls to the Central Commission which will ensure that the cheques appearing in the payment scrolls are those issued by the Central Commission and reconcile each transaction with the bank(s).

7. **Manner of applying the Fund.-**

(1) All amount released from the Fund shall be paid into the Central Commission's account(s) in the bank(s) and shall not be withdrawn except on presentation of a cheque signed jointly by Deputy Director (Accounts) and Accounts Officer or such other officer as authorised by the Central Commission.

(2) These officers shall be responsible for monitoring the proper transactions of receipts and payments on behalf of the Central Commission.

8. **Budget Estimates and Revised Estimates**. - The Central Commission shall prepare its budget estimates and revised estimates in the format as at Annexure – I and Final Grant statement in format as at Annexure - II and submit them to the Central Government by the 30th September and 15th January of each Financial Year.

9. **Delegation of Powers**. - (1) The Chairperson of the Central Commission shall have the powers of the Central Government relating to items as given in schedule II, V, VI and VII of Delegation of Financial Powers Rules, except in the following matters:-

(i) Creation of posts,
(ii) re-appropriation of funds from one head to another,
(iii) purchase of vehicles,
(iv) permitting any officer of the Commission to participate in seminars, conferences or training programme abroad;

Provided that the exercise of these powers will be subject to the general restrictions and conditions contained in the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and other general rules and orders issued by the Government of India from time to time.

(2) The Central Commission shall lay down the detailed procedure for sanction of various expenditure and delegation of power among the Central Commission, Chairman and Secretary of the Central Commission.

10. **Audit of the Accounts**. - (1) The accounts of the Central Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(2) The accounts of the Central Commission as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government by the Central Commission to enable it to place the audit report before each House of Parliament.

ANNEXURE – I

Revised Estimates of (Current Year)/
Budget Estimates of (Next Year)

Head of Account	Actuals Last two Years		Budget Allotment	Actuals of first 6 months (prev 2 years and FY)			Actuals for the last 6 months (prev 2 years)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Estimate last 6 months (FY)	Total Revised Estimate	Budget Estimate	Difference between Allotment & RE (11-4)
10	11	12	13

Difference between (BE & RE) (12-11)	Reasons for Variation
14	15

Note1: Heads of Account shall be as per list at Appendix A
Note 2: Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

ANNEXURE – II

Final Grant Statement (Financial Year)

Head of Account	Revised Allotment received	Actuals of first 10 months	Requirement last 2 months	Total Final Grant	Net Savings/ Excess	Remarks
1	2	3	4	5	6	7

Note 1: Heads of Account shall be as per list at Appendix A.
Note 2: Budgetary provisions shall be explained with detailed memoranda as listed at Appendix B.

Appendix A

Detailed Heads of Account (with description) under which CERC shall furnish budget Statements and Explanatory Memoranda thereto

A/c Code	Description
REVENUE	
2.	**Fee and Charges**
2.1	Fee
2.2	Charges
2.3	Fines
	Total
2.4	Others (Specify)
	Grand Total
3.	**Grants**
3.1	From Government
3.2	From others
	Total
4.	**Gifts**
5.	**Seminars and Conferences**
6.	**Sales of Publications**
7.	**Income on Investments and Deposits**
7.1	Income on investments
7.2	Income on Deposits
8.	**Loans**
8.1	From Government
8.2	From Others (specify)
9.	**Sale of Assets**
10.	**Sale of Investments**
11.	**Recoveries from pay bills**
11.1	Principal amount of Loans and Advances
11.2	Interest on Loans and Advances
12	Miscellaneous Income
12.1	Gain on sale of assets
12.2	Any Others (specify)

EXPENDITURE

13. **Chairperson and Members**
13.1 Pay and Allowances
13.2 Other benefits
13.3 Travelling expenses
13.3.1 Overseas
13.3.2 Domestic
14. **Officers**
14.1 Pay and Allowances
14.2 Retirement benefits
14.3 Other benefits
14.4 Travelling expenses
14.4.1 Overseas
14.4.2 Domestic
15. **Staff**
15.1 Pay and Allowances
15.2 Retirement Benefits
15.3 Other benefits
15.4 Travelling expenses
15.4.1 Overseas
15.4.2 Domestic
16. **Hire of Conveyance**
17. **Wages**
18. **Overtime**
19. **Honorarium**
20. **Other Office Expenses**
21. **Expenditure on Research**
22. **Consultation fee**
23. **Seminars and Conferences**
24. **Publications of CERC**
25. **Rent and Taxes**
26. **Interest on Loans**
27. **Promotional Expenses**
28. **Membership fee**
29. **Subscription**
30. **Purchase of fixed assets**
31. **Investments and Deposits**
31.1 Investments
31.2 Deposits
32. **Security Deposits**
33. **Loans and Advances**
33.1 To employees
33.1.1 Bearing Interest
33.1.2 Not-bearing interest
33.2 To Suppliers and Contractors
33.3 Others (to specify)
34. **Repayment of Loans**
35. **Others**
35.1 Leave salary and pension contribution

35.2 Audit fee
35.3 Miscellaneous
36. Description
37. Loss on sale of assets
38. Bad debt written off
39. Provision for bad & doubtful debts
Total

Appendix B

Explanatory Memoranda to RE/BE Statements of

Central Electricity Regulatory Commission

1. Statement showing grade wise details of establishment with provision sought therefor in the estimates, with actual establishment strength and cost thereof in previous year.

2. Estimates of individual projects/consultancies costing over Rs.5 lakhs indicating original cost, revisions if any and provisions sought for the project in the budget grants.

3. Details of Foreign exchange component in the Budget/Revised estimates.

4. Estimates of Revenue Receipts in Budget Year and previous year.

5. Statement showing financial results of CERC for the budget year and previous year.

[F. No. 23/76/2003-R&R]
ALOK KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 676(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-- (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप और अभिलेख) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं -- (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, --

(क) ' अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) 'केन्द्रीय आयोग' से अधिनियम की धारा 76 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) 'लेखा परीक्षा अधिकारी' से भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) 'सचिव' से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का सचिव अभिप्रेत है ;

(ङ) 'अनुसूची' से इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है ;

(च) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में है ।

3. आयोग के लेखे – (1) केन्द्रीय आयोग वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा । केन्द्रीय आयोग का सचिव उसकी ओर से लेखा तैयार करने के लिए केन्द्रीय आयोग के एक अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय आयोग का सचिव केन्द्रीय आयोग के लेखाओं के रखे जाने, वित्तीय विवरण और विवरणी के संकलन का पर्यवेक्षण करेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि केन्द्रीय आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित केन्द्रीय आयोग के सभी लेखे, बहियां संबद्ध वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र उस अधिकारी के व्ययन के अधीन रखे गए हैं ।

(3) केन्द्रीय आयोग द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणन के पश्चात् केन्द्रीय आयोग के सचिव द्वारा उस तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) (i) केन्द्रीय आयोग नीचे उल्लिखित प्ररूपों में निम्नलिखित लेखे तैयार करेगा :-

(क) प्ररूप क में प्राप्ति और संदाय लेखे ;
(ख) प्ररूप ख में आय और व्यय लेखे ;
(ग) प्ररूप ग में तुलन - पत्र ।

(ii) 'प्राप्ति और संदाय लेखे', 'आय और व्यय लेखे' तथा 'तुलन-पत्र' पर हस्ताक्षर करने और अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी आयोग का सचिव होगा ।

(iii) वार्षिक लेखा विवरण उस वर्ष से जिससे लेखे संबंधित है, आगामी वर्ष की 30 जून को या उससे पूर्व लेखा परीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और लेखा परीक्षा अधिकारी केन्द्रीय आयोग के लेखाओं की लेखा परीक्षा करेगा और उस पर रिपोर्ट करेगा ।

(iv) केन्द्रीय आयोग, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति पर उसमें उल्लिखित किसी त्रुटि या अनियमितता को सही करेगा और उसके द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा लेखा परीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।

प्रारूप क

...............को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए प्राप्ति और संदाय लेखे

(रकम - रु0)

प्राप्तियां	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	संदाय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. आरंभिक अतिशेष (क) नकद हाथ में (ख) बैंक अतिशेष (i) चालू खाते में (ii) निक्षेप खाते में (iii) बचत खाते में			**1. व्यय** (क) स्थापन व्यय (i) वेतन (आयोग का अध्यक्ष और सदस्य) (ii) वेतन (अधिकारी और स्थापन) (iii) भत्ते और बोनस (iv) वृत्तिक और अन्य सेवाओं के लिए संदाय (ख) यात्रा व्यय (i) विदेश यात्रा (ii) घरेलू यात्रा (ग) अतिकाल भत्ता (घ) चिकित्सा और स्वास्थ्य देखरेख प्रसुविधाएं (ङ) अन्य स्थापन प्रभार (i) अध्यापन फीस (ii) छुट्टी यात्रा रियायत (iii) कोई अन्य (जो विनिर्दिष्ट किया जाए)		

			(च) भविष्य निधि में अभिदाय (छ) अन्य निधियों में (जो विनिर्दिष्ट की जाएं) अभिदाय (ज) कर्मचारवृंद कल्याण व्यय (झ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत प्रसुविधाओं पर व्यय		
2. **प्राप्त अनुदान** (क) विद्युत मंत्रालय से (ख) राज्य सरकार से (ग) अन्य स्रोतों से (ब्यौरे) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को पृथक रूप से दर्शित किया जाए)			2. **प्रशासनिक व्यय** (क) क्रय (ख) श्रम और प्रक्रिया संबंधी व्यय (ग) आंतरिक ढुलाई और वहन (घ) विद्युत और शक्ति (ड) जल प्रभार (च) बीमा (छ) मरम्मत और अनुरक्षण (ज) उत्पाद शुल्क (झ) किराया, दर और कर (ञ) यान चालन और अनुरक्षण (ट) डाक महसूल, टेलीफोन और संचार प्रभार (ठ) मुद्रण और लेखन सामग्री (ड) यात्रा और वाहन व्यय (ढ) संगोष्ठी / कर्मशालाओं पर व्यय (ण) अभिदान व्यय (त) फीस पर व्यय		

			(थ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस (द) सत्कार व्यय (ध) वृत्तिक प्रभार (न) डूबंत और संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए उपबंध (प) अपलिखित किए गए अवसूलनीय बकाया (फ) पैकिंग प्रभार (ब) भाड़ा और अग्रेषण व्यय (भ) संवितरण व्यय (म) विज्ञापन और प्रचार (य) अन्य (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)		
3. निम्नलिखित से विनिधानों पर आय (क) उद्दिष्ट /विन्यास निधियां (ख) स्वयं की निधि(अन्य विनिधान)			**3. किए गए विनिधान और निक्षेप** (i) विनिधान (ii) निक्षेप (क) प्रतिभूति निक्षेप (ख) अग्रिम धन निक्षेप		
4. आयोग की प्राप्तियां **(क) प्राप्त ब्याज** (i) बैंक निक्षेपों पर (ii) कर्मचारियों आदि को उधार, अग्रिमों पर (iii) प्रकाशनों का विक्रय			**4. (I) कर्मचारिवृंद को अग्रिम** (क) गृह निर्माण अग्रिम (ख) मोटर कार /पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम (ग) स्कूटर/मोटरसाईकिल अग्रिम (घ) अन्य अग्रिम (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)		

(iv) समाचार पत्रों का विक्रय (v) आयोग द्वारा प्रभारित फीस (vi) चिकित्सा, स्वास्थ्य देखरेख फायदाग्राहियों के अभिदाय (vii) प्रकीर्ण प्राप्तियां **(ख) विनिधान** (i) भुनाए गए विनिधानों के अंकित मूल्य में			(II) आकस्मिक अग्रिम (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम (ख) प्रदायकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम (ग) अन्य अग्रिम (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं) (III) अन्य समायोजन /विप्रेषण (क) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों से वसूल किए गए साधारण भविष्य निधि / अभिदायी भविष्य निधि आदि (ख) अनुज्ञप्ति फीस		
(ii) विनिधान पर ब्याज में			(ग) आयकर (घ) विक्रय कर (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (च) डाक जीवन बीमा (छ) सी जी ई जी आई एस/ सी ई ई आई एस (ज) गृह निर्माण अग्रिम (झ) मोटरकार /कंप्यूटर अग्रिम (ञ) स्कूटर/मोटरसाईकिल अग्रिम (ट) अन्य वसूलियां (जो विनिर्दिष्ट की जाएं)		

5.ऋण /निक्षेप प्राप्तियां **(क) कर्मचारिवृंद से अग्रिम की वसूली** (i) गृह निर्माण अग्रिम (ii) मोटरकार/पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम (iii) स्कूटर/मोटरसाईकिल अग्रिम (iv) अन्य अग्रिम (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं) (v) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को संदत्त साधारण भविष्य निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति (ख) आकस्मिक अग्रिमों की वसूली (i) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अग्रिम (ii) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम (iii) अन्य अग्रिम (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)			**5. अभिदाय** (क) पेंशन और उपदान (ख) छुट्टी वेतन और पेंशन अभिदाय (ग) अन्य अभिदाय (जो विनिर्दिष्ट किए जाएं)		
(ग) अन्य निक्षेप (i)प्रतिभूति निक्षेप (ii) अग्रिम धन निक्षेप (iii) कोई अन्य निक्षेप (जो विनिर्दिष्ट किया जाए)					

6. विप्रेषण प्राप्तियां (क) प्रतिनियुक्त व्यक्तियों से वसूली (ख) अनुज्ञप्ति फीस (ग) आयकर (घ) अधिभार (ङ) विक्रय कर (च) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम (छ) डाक जीवन बीमा (ज) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम (झ) कोई अन्य (जो विनिर्दिष्ट की जाएं)			**6. स्थिर आस्तियों और चालू काम पूंजी पर व्यय** (क) भूमि (ख) भवन (ग) फर्नीचर और फिक्सचर (घ) मशीनरी और उपस्कर (ङ) मोटरयान (च) पुस्तकें और प्रकाशन (छ) कोई अन्य (जो विनिर्दिष्ट किया जाए)		
			7. अंत अतिशेष (क) रोकड़ हाथ में (ख) बैंक अतिशेष (i) चालू खातों में (ii) निक्षेप खातों में (iii) बचत खाते		
कुल			कुल		

आंतरिक वित्तीय सलाहकार सचिव सदस्य (वित्त) अध्यक्ष